न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 01/2023

प्रार्थीगण–

आम जनता गांव झालामलिया
खारापार जरिये–

1. मनोहरसिंह पुत्र किशोरसिंह
2. कानसिंह पुत्र खीमसिंह
3. रामसिंह पुत्र खीमसिंह
4. रामसिंह पुत्र मानसिंह
   जातियान राजपूत
5. रेखाराम पुत्र प्रहलादराम
   जाति मेघवाल
6. प्रतापाराम पुत्र भुराराम
   जाति जाट, समस्त निवासी
   झालामलिया खारापार
   तहसील गिड़ा बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिड़ा जिला बालोतरा।
2. गंगाराम पुत्र रामचन्द्रराम, जाति दर्जी, निवासी झालामलिया खारापार तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व नियम, (कृषि परियोजन भूमि आवंटन) नियम 1970 बाबत् निरस्त नियमन आदेश दिनांक 02.11.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बायतु।

उपस्थिति :–
1. श्री भुपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांकः– 10.09.2024

1. प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व नियम (कृषि परियोजन भूमि आवंटन) 1970 अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बायतु के आदेश क्रमांक – राजस्व/2022/25 दिनांक 0211.2022 के विरूद्ध पेश की है।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में संक्षिप्त तथ्य यह है प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र मौजा झालामलिया के खसरा संख्या 212/110 रकबा 06 बीघा भूमि का नियमन आदेश 02.11.2022 मौजा झालामलिया तहसील गिड़ा के खसरा संख्या 212/110 रकबा 06 बीघा भूमि का नियमन गलत व नियमों के विपरीत जाकर करने से प्रार्थीगण ने दिनांक 12.04.2023 को यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये तलब किया एवं प्रार्थना पत्र बाबत आदेश से सम्बन्धित मूल पत्रावली मंगवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी बायतु को मिसल चिट्टी भेजी जाकर मूल पत्रावली प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

4. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौरान बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 02.11.2022 मौजा झालामलिया तहसील गिड़ा के खसरा संख्या 212/110 रकबा 06 बीघा भूमि का नियमन गलत व नियमों के विपरीत जाकर किया गया हैं। तथा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत किए गए गलत तथ्यों के आधार पर हुआ हैं, वास्तव में अप्रार्थी संख्या 02 अपने नाम से उक्त भूमि का नियमन करवाने का अधिकारी नहीं था। अप्रार्थी सख्या 02 ने छल व मिथ्या व्यपदेशन द्वारा भूमि अपने नाम नियमन करवाई हैं तथा उसके द्वारा जो नियमन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसमें अपने आपको भूमिहीन होना बताया था तथा नियमन प्रार्थना पत्र के अधिकतर कॉलम खाली थे तथा अपना व्यवसाय भी पशुपालन व कृषि होना बताया था जबकि न तो वह भूमिहीन था और न ही उसका व्यवसाय पशुपालन व कृषि था तथा अप्रार्थी संख्या 02 अपने स्वयं के नाम से दर्ज भूमि का बेचान भी किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने द्वारा प्रस्तुत नियमन आवेदन पत्र में अपनी पत्नी के नाम से भूमि नहीं होने के कथन अंकित किए गए हैं लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 की पत्नी चन्द्रादेवी के नाम से खसरा संख्या 293/221 रकबा 0.8094 हैक्टेयर जमीन खातेदारी में दर्ज हैं तथा खसरा संख्या 109/2 रकबा 08 बीघा की भूमि को अप्रार्थी संख्या 02 ने सन् 2006 में खरीद किया था।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रकट किया कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि परियोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम—1970 के नियम 2 के उपनियम (3—बी) के परन्तुक बी के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा उसकी भूमि का हस्तानान्तरण कर दिया गया तथा ऐसा करने के बाद उसके पास न्यूनतम क्षेत्र हुआ हो, वह व्यक्ति भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा स्वयं के नाम से दर्ज भूमि का खसरा संख्या 268/138 रकबा 2.0153 हैक्टेयर का बेचान खेतूदेवी पत्नी मोटाराम को किया गया हैं इसलिए उक्त प्रावधानों की पालना किए बिना आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य हैं। नियमन हेतु तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी का नियमित अतिक्रमण नहीं होने तथा भूमिहीन नहीं होने की टिप्पणी की गई हैं, जिस पर ध्यान दिए बिना ही आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा नियमन आदेश पारित किया गया, जो निरस्त होने योग्य है।

उक्त नियमित भूमि के खसरा संख्या 212/110 रकबा 13 बीघा मौजा झालामलिया शुरू से ही सरकारी जमीन हैं जो समस्त ग्रामीणों के उपयोग व उपभोग में आ रही है उक्त जमीन के पास स्कूल भवन बना हुआ हैं, सार्वजनिक पानी की हौदी बनी हुई हैं, सार्वजनिक कुण्ड भी बना हुआ हैं, उक्त भूमि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के खेलकूद के मैदान के रूप में काम आ रही हैं इस भूमि के सिवाय ग्रामीणों व विद्यार्थियों के सार्वजनिक उपयोग व उपभोग हेतु अन्य कोई भूमि नहीं हैं। झालामलिया गांव से नया राजस्व गांव बनने से उक्त गांव से अधिकतर सरकारी जमीन उक्त नये राजस्व गांव में चली गई और मूल गांव में उक्त खसरा संख्या 212/110 ही बचा हैं उक्त खसरा के अलावा अन्य कोई सरकारी जमीन नहीं हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 02 [illegible]राम पुत्र रामचन्द्रराम जाति दर्जी निवासी झालामलिया खारापार को किया गया नियमन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

दिनांक 02.11.2022 खसरा संख्या 212/110 रकबा 06 बीघा भूमि का गलत, व नियम विरूद्ध एवं मिथ्या आधार पर होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

5. जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रकट किया है कि प्रकरण में उल्लेखित भूमि खसरा संख्या 212/110 के मूल खसरा के रकबा पर वक्त सेटलमेंट यानि दिनांक 15.10.1955 से लगातार अप्रार्थी संख्या 02 व उसके पिता का कब्जा रहा, इस बाबत खसरा परिवर्तन निर्धारण की प्रतियां पत्रावली में जवाब आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर कब्जा राज.का.अधि. व राज. भू.राजस्व अधि. के प्रावधान प्रभाव में आने से पूर्व का निरंतर कब्जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 के पास वक्त नियमन संयुक्त खातेदारी में भूमि खसरा संख्या 296/220, 210/109, 214/117 में खातेदारी की 12.19 बीघा भूमि अवश्य थी तथा अप्रार्थी संख्या 02 की पत्नी के खातेदारी में 05.00 बीघा भूमि थी, इस प्रकार कुल 17.19 बीघा भूमि थी, जिसका विवरण नियमन आदेश दिनांक 02.11.2022 के कॉलम नम्बर 10 में अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने कोई तथ्य नहीं छिपाया है।

वर्तमान में प्रकरण अप्रार्थी संख्या 02 को प्रश्नगत आदेश के माध्यम से 06 बीघा भूमि ही आवंटित की गई है और पहले अप्रार्थी संख्या 02 व उसकी पत्नी के पास कुल 17.19 बीघा भूमि खातेदारी की थी, यदि उसे जोड़ दिया जाता है तो कुल भूमि 23.19 बीघा ही होती है, जबकि राज्य सरकार के नियमों अनुसार बाड़मेर जिले में 6 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में आवंटित/नियमन सहित होने में कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि अप्रार्थी संख्या 02 व उसकी पत्नी के पास ऐसा रकबा नहीं है, जिसके आधार पर नियमन रद्द किया जा सकें, फिर भी खातेदारी की भूमि जिसका रकबा निर्धारित रकबे से अधिक है तो उसके लिये प्रिमियम वसूली की कार्यवाही की जा सकती है, आलौच्य आवंटन आदेश में उपखण्ड अधिकारी, सलाहकार समिति ने शर्त संख्या 06 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधित किया है कि रेकर्ड में अमलदरामद करते वक्त अधिक भूमि है तो उसका कॉलम संख्या 11 में अंकित राशि वसूली के पश्चात ही रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 के पास ऐसी भूमि नहीं थी, जो उक्त नियमों के अन्दर आती हो, इस कारण अप्रार्थी संख्या 02 के नाम गैर खातेदार का म्यूटेशन भरा गया।

प्रार्थी ने न्यायालय को अवगत कराया है कि अप्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी खेत की भूमि जिसके खसरा संख्या 210/109 रकबा 01.2956 हैक्टेयर दर्ज है, को ही पुनः खसरा संख्या 109/2 अंकित कर न्यायालय को भ्रमित करना चाहा है, जबकि दोनों ही भूमियां एक ही है। अप्रार्थी संख्या 02 के पास संयुक्त खातेदारी में खसरा संख्या 296/220, 210/120 व 214/117 में कुल मिलाकर 12.19 बीघा भमि ही है, उससे अधिक कोई रकबा नहीं हैं। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण ने कथन किया है आवंटित भूमि का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है तथा मौके पर स्कूल मैदान, पानी का हौद व अन्य सार्वजनिक गतिविधियां हो रही है, ऐसा मौखिक कथन अपने आवेदन में किया है जिसके ठीक विपरीत राजस्व अभिलेख खसरा परिवर्तन निर्धारण जो सवंत् 2013 से सवंत् 2074 तक लगातार है में मौके पर बाजरी, मूंग, मौठ, ग्वार की कास्त होने का अंकन किया गया है तथा मौके पर बाड़ा, ढ़ाणी, घास इकट्ठे करने की (कलार) होने का अंकन दर्ज है। जिससे भी स्पष्ट है कि जो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

कार्यालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

अप्रार्थी संख्या 02 को नियमन की गई है, उस पर अप्रार्थी संख्या 02 व उनके हकपूर्वाधिकारी के अलावा किसी का कोई सरोकार या कब्जा किसी का नहीं रहा है, मौके पर भूमि का उपयोग बतौर कास्त नियमित रूप से होता रहा है। प्रकरण में प्रार्थीगण ने आवेदन के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि भूमि का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा हो।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने तथ्यों से स्पष्ट किया कि जहां तक प्रार्थीगण का उज्र है कि नियमन से पहले, नियमन शर्तों की पालना नहीं की गई, उद्घोषणा प्रकाशित नहीं की गई, इस संबंध में जो तथ्य, दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध है के अवलोकन से ही उक्त एतराज झूठा सिद्ध हो जाता है। उपखण्ड अधिकारी, बायतु के द्वारा दिनांक 30.09.2022 को उद्घोषणा जरिये क्रमांक राजस्व/2022/2068–2071 दिनांक 30.09.2022 को प्रकाशित किया जाकर 07 दिन में आपत्तियां चाही व इच्छुक आवेदक से आवेदन चाहे, तदोपरांत दिनांक 14.10.2022 को भूमि नियमन के संबंध में बैठक सूचना जरिये पत्र क्रमांक – राजस्व/2022/2189, 2190 भी प्रकाशित की, ताबाद नियमन सलाहकार समिति के द्वारा भूमि नियमन का आदेश पारित किया, जिससे स्पष्ट है कि जो नियम भूमि नियमन हेतु निर्धारित किये गये है, उनकी पालना आज्ञापक रूप से करना आवश्यक था, जिसकी पालना की गई है।

वर्तमान प्रकरण अप्रार्थी संख्या 02 से अवैध रकम ऐठनें व व्यक्तिगत दुश्मनी रखने वाले गिरोह के सदस्य जिनके विरूद्ध पहले से ही अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाये जा चुके है, ने मात्र तंग परेशान करने की बदनियती से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की संख्या बढ़ाने की बदनियती से पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 02 के हक में किया गया नियमन किसी भी तौर से विधि विरूद्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन निरर्थक तथ्यों का होने से व्यय सहित खारिज किया जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरर्थक तथ्यों का होने से व्यय सहित काबिल खारिज करने योग्य है।

6. हमने उभयपक्षकार के अधिवक्तागण की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण का मुख्य बिन्दु यह हैं कि आवंटी गंगाराम पुत्र रामचंद्रराम को दिनांक 02.11.2022 को मौजा झालामलिया के खसरा संख्या 212/110 रकबा 06 बीघा का किया गया नियमन गलत, नियम विरूद्ध, धोखे एवं मिथ्या व्यपदेशन के आधार हुआ है, जिसके आधार पर यह प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण का कथन हैं कि पटवारी हल्का जांच रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 02 कृषि श्रमिक भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रकट किया है कि अप्रार्थी संख्या 02 को प्रश्नगत आदेश के माध्यम से 06 बीघा भूमि ही आवंटित की गई है और पहले अप्रार्थी संख्या 02 व उसकी पत्नी के पास कुल 17.19 बीघा भूमि खातेदारी की थी, यदि उसे जोड़ दिया जाता है तों कुल भूमि 23.19 बीघा ही होती है, जबकि राज्य सरकार के नियमों अनुसार 04 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में आवंटित/नियमन सहित होने में कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा अधिवक्ता अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 2(26ए) भूमिहीन व्यक्ति की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
चालोतरा

परिभाषा में प्रकट किया कि दिनांक 08.04.1983 को संशोधन उपरान्त वर्तमान परिभाषा जोड़ी गई है जबकि इससे पूर्व आलौच्य आवंटन होने से पूर्व की राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में यथा विहित परिभाषा अनुसार भूमिहीन कृषक 75 बीघा धारित करने तक विहित था। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 02 को वक्त आवंटन भूमिहीन नहीं होने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा अवैध आवंटन या आवंटन की शर्तों की पालना न करने पर आवंटन निरस्त करने का प्रावधान हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा वक्त आवंटन किसी प्रकार के तथ्यों को छिपाकर मिथ्याव्यपदेशन नहीं किया गया है तथा न ही आवंटन शर्तों के उल्लंघन का कोई साक्ष्य प्रकट किया गया है जिसके अभाव में आलौच्य आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन उपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक **10.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और दर्ज नम्बर से कम हों।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा